डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 516/01 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2001/00040
उनवानी :–

1. खचैरा पुत्र हरमाया
2. रतन सिंह पुत्र हरमाया
3. बादामी विधवा हरमाया (मृतक)

} जातियान जाट निवासीयान बैलारा कला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

4. गंगा पुत्री हरमाया पत्नी विजय सिंह जाति जाट साकिन भवनपुरा तहसील मथुरा उ0प्र0
5. जमुना पुत्री हरमाया पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी पुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
6. मछला पुत्री हरमाया पत्नी लाखन सिंह जाति जाट साकिन भवनपुरा तहसील मथुरा उ0प्र0।
7. गुड्डी पुत्री हरमाया पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट निवासी पुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
8. हरी सिंह पुत्र रामप्रसाद
9. दुर्जन सिंह पुत्र रामप्रसाद

} जाति जाट निवासी बैलारा कलॉ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर।
2. तहसीलदार कुम्हेर।
3. जल सिंह पुत्र रतन (मृतक)
   3/1. कल्लो वेवा जल सिंह जाति जाट निवासी बैलारा कलॉ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
   3/2. सरमन पुत्र जल सिंह
   3/3. संजय पुत्र जल सिंह
   3/4. सुनीता पुत्री जल सिंह
   3/5. शारदा पुत्री जल सिंह
   3/6. राधा पुत्री जल सिंह

   } जाति जाट निवासी बैलारा कला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
4. सडयान पुत्र रतन सिंह (मृतक)
   4/1. ओमवती वेवा सडयान
   4/2. देवेन्द्र सिंह पुत्र सडयान
   4/3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र सडयान

   } जाति जाट नि0 बैलारा कला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
   4/4. श्यामवती पुत्री सडयान
   4/5. मंजू पुत्री सडयान
   4/6. बबीता पुत्री सडयान
   4/7. रिंकी पुत्री सडयान
   4/8. रेखा पुत्री सडयान

   } जाति जाट नि0 बैलारा कला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर दि0 18.12.2001 मि.नं. 27/01 उनवान हरमाया बनाम सरकार।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

यह अपील .....27.....माह.....02.....सन्.....2024.....व हमारे .....श्री गोविन्द सिंह डागुर एड. मिनजानिब अपीलाण्ट , श्री दिनेश कुमार शर्मा एड. रैस्पोडेण्ट उपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2001 यथावत रखें जाते हैं।**

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....27.....माह.....02.....सन्.....2024.....को जारी की गई।

27/02/2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 516/01 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2001/00040

उनवान

1. खचैरा पुत्र हरमाया } जातियान जाट निवासीयान बैलारा कला तहसील कुम्हेर जिला
2. रतन सिंह पुत्र हरमाया } भरतपुर।
3. बादामी विधवा हरमाया (मृतक)
4. गंगा पुत्री हरमाया पत्नी विजय सिंह जाति जाट साकिन भवनपुरा तहसील मथुरा उ0प्र0
5. जमुना पुत्री हरमाया पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी पुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
6. मछला पुत्री हरमाया पत्नी लाखन सिंह जाति जाट साकिन भवनपुरा तहसील मथुरा उ0प्र0।
7. गुड्डी पुत्री हरमाया पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट निवासी पुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
8. हरी सिंह पुत्र रामप्रसाद } जाति जाट निवासी बैलारा कलॉ तहसील कुम्हेर जिला
9. दुर्जन सिंह पुत्र रामप्रसाद } भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर।
2. तहसीलदार कुम्हेर।
3. जल सिंह पुत्र रतन (मृतक)
   - 3/1. कल्लो वेवा जल सिंह जाति जाट निवासी बैलारा कलॉ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
   - 3/2. सरमन पुत्र जल सिंह
   - 3/3. संजय पुत्र जल सिंह
   - 3/4. सुनीता पुत्री जल सिंह
   - 3/5. शारदा पुत्री जल सिंह
   - 3/6. राधा पुत्री जल सिंह

   } जाति जाट निवासी बैलारा कला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
4. सडयान पुत्र रतन सिंह (मृतक)
   - 4/1. ओमवती वेवा सडयान
   - 4/2. देवेन्द्र सिंह पुत्र सडयान
   - 4/3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र संडयान

   } जाति जाट नि0 बैलारा कला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4/4. श्यामवती पुत्री सडयान
4/5. मंजू पुत्री सडयान
4/6. बबीता पुत्री सडयान
4/7. रिंकी पुत्री सडयान
4/8. रेखा पुत्री सडयान
} जाति जाट नि0 बैलारा कला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..... रैस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर दि0 18.12.2001 मि.नं. 27/01 उनवान हरमाया बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दिनेश कुमार शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–27.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2001 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 678/0.19 स्थित ग्राम बैलारा कला तहसील कुम्हेर के खातेदार कृषक काबिज वादीगण अपीलाण्ट हैं। जिसमें वादी अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 07 1/2 हिस्से का तथा वादी अपीलाण्ट संख्या 08 व 09 1/2 हिस्से के खातेदार कृषक हैं। यह खसरा नम्बर साविक खसरा नम्बर 639 मिन से भू प्रबन्ध विभाग ने बनाया है। परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने नये नम्बरान पर मौके के विपरीत एवं विधि विरूद्ध विवादित आराजी पर प्रतिवादी रैस्पो0 के नाम सिवायचक की प्रविष्टियॉ अंकित कर दी हैं। जबकि उनको इस प्रकार प्रविष्टियॉ बदलने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। उक्त गलत प्रविष्टियों के आधार पर प्रतिवादीगण, वादीगण के खातेदारी अधिकारो से वंचित करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर काबिले खारिजी है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 678 अपीलाण्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है यह खसरा नम्बर अपीलाण्ट की खातेदारी के गत खसरा नम्बर 639 मिन से बना है। साविक आराजी खसरा नम्बर 639 एवं 638 के मध्य 638/1 रास्ते का नम्बर है जिसके पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 639 एवं पश्चिम में 638 है। रास्ते का वर्तमान खसरा नम्बर 679 बना है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि साविक खसरा नम्बर 638 का रकवा वर्तमान खसरा नम्बर 678 में मिला है कतई गलत है। रास्ते के बाद पूर्व दिशा में 638 का रकवा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायायल ने जिस निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 09.01.1992 पर भरोसा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रथम तो वह निर्णय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 22.10.1994 एवं माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 30.11.1994 से स्थिगित किया हुआ है दूसरे कथित आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण शून्य है। आदेश दिनांक 09.01.1992 को रैस्पो0 ने अपनी साक्ष्य से साबित भी नहीं किया है, कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं ना ही उसे साक्ष्य में प्रदर्शित कराया है। विवादित आराजी गत जमाबन्दी से अपीलाण्ट के खातेदारी की आराजी प्रमाणित है। धारा 136 के आदेश से अधिकार तय नहीं होते हैं। खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज होती हैं। खसरा गिरदावरी में अपीलाण्ट की काश्त दर्ज है तो कब्जा साबित नहीं होना अपीलाधीन आदेश में कैसे अंकित कर दिया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह.है कि अपीलाण्ट व रैस्पो0 ने दावे से पूर्व धारा 136 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षो को सुनकर विस्तृत निर्णय दिनांक 09.01.1992 को पारित हुआ। जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा की गयी जो खारिज हुयी एवं रैस्पो0 की स्वीकार हुयी। उक्त आदेश की अपील अपीलाण्ट द्वारा माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत हुयी। वह भी खारिज हुयी। फिर अपीलाण्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रस्तुत की, माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से भी अपील खारिज हो गयी। उसके बाद दावा प्रस्तुत किया। जिसमें रैस्पो0 को पक्षकार ही नहीं बनाया। केवल राज्य सरकार को पक्षकार बनाया। धारा 80 सीपीसी का कोई नोटिस भी नहीं दिया एवं अनुतोष भी राज्य सरकार से ही चाहा। रैस्पो0 प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी में पक्षकार मुकदमा बने। खसरा नम्बर 677 व 678 नामान्तकरण संख्या 112 से रैस्पो0 के नाम आ गये। खसरा नम्बर 639 रकवा 04 बीघा 14 बिस्वा का था जिससे नये नम्बर 677/.056 व 676/0.30 कुल 0.86 बने जबकि 0.74 होना चाहिये था। रकवा 0.11 एयर वेशी है। खसरा नम्बर 677 की बाबत् कोई अपील या दावा नहीं किया। रैस्पो0 की खसरा नम्बर 677 पर खातेदारी हो चुकी है। खसरा गिरदावरी खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का वैध दस्तावेज नहीं है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित सात तनकियॉ कायम की गयी हैं एवं प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वादीगण अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है। वादी अपीलाण्ट ने दावे में इस तथ्य को छुपाया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 09.01.1992 से विवादित आराजी खसरा नम्बर 678 को सिवायचक की बजाय प्रतिवादीगण रैस्पो0 संख्या 03 व 04 के नाम अंकित कर दिया है एवं नामान्तकरण संख्या 112 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा आदेश उपखण्ड अधिकारी एंव नामान्ताकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपीले भी माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर तक खारिज हो चुकी हैं। विवादित खसरा नम्बर 678 वादी अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 03 व 04 के नाम आया है। परन्तु फिर भी वादी अपीलाण्ट ने उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। तत्पश्चात् प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 03 व 04 प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार मुकदमा बने हैं। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट का प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 03 व 04 की वाद में उपेक्षा करना न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश तनकीवार तार्किक है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2001 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

27.02.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर